(5)

न्यायालय अति0जिला कलक्टर,राजसमन्द

(श्री राकेश कुमार, आर0ए0एस0 अतिरिक्त कलक्टर द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 26 / 2017
दायर दिनांक :– 14–11–2017
निर्णय दिनांक :– 22–01–2019

अनवान

श्री नाथू पिता नीमा जाट निवासी लापस्या तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलार रेलमगरा जिला राजसमन्द
2–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ,सडक परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध अदेश तहसीलदार रेलमगरा नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 02–01–2017 ग्राम लापस्या के आराजी नम्बर 833

उपस्थित :–
1– श्री कुलदीप पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री सम्पत लढढा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 02–01–2017 न्याय,विधि व तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने से इस आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 02–11–2017 को खाला गया है जो अवैध नामान्तकरण आदेश की परिभाषा में माना जाता है और अवैध को चुनौती देने के लिये कोई मयाद नही हैं । मामला अपीलाण्ट की जायदाद से सम्बन्धीत होने से इसके विधिक हक अधिकार जुडे हुए है। ऐसे आदेश को कभी चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को मियाद में मानते हुये निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को मयाद में मानते हुये निर्णित फरमाई जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मयाद के प्रश्न पर बहस सुनी गयी । रेस्पोंडेंट की ओर से ऐसा कोई शपथ पत्र या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट हो सके कि अपीलांट का मामला अपीलाण्ट की जायदाद से सम्बन्धीत होने से इसके विधिक हक अधिकार जुडे हुए है। ऐसे आदेश को कभी चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को मियाद में मानते हुये निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

(6)

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि को जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या दो द्वारा रोड निर्मित करने में अवाप्त की गई है। लेकिन उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में आराजी नम्बर 654,653 व 833 के सम्बन्ध में भमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई हैं जो अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है। अपीलार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में की गई अवाप्ति की कार्यवाही मौके पर किये गये सर्वे अनुसार आराजी नम्बर 654 रकबा 1.03 बीघा में से 0.04 बिस्वा भूमि ,आराजी नम्बर 653 रकबा 1.10 बीघा में से 0.01.05 बीघा एवं आराजी नम्बर 833 रकबा 2.02 बीघा मेंसे 0.12 बिस्वा भूमि मौके के अनुसार अवाप्त की गई है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में इसका नामान्तकरण गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया है। आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा जो नामन्तकरण भरा गया है ,उसमें भी कांट छांट कर रखी है। नामान्तकरण भरने के बाद राजस्व निरीक्षक द्वारा जांज दिनांक 09.06.2015 को कर रखी है। उक्त जांच के बाद भी डेढ वर्ष बाद तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। अतः तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 02–01–2017 न्याय,विधि व तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होकर प्रथम दृष्ट्या ही काबिल निरस्त है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित राजस्व ग्राम लापस्या का नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 02–01–2017 को निरस्त फरमाया जावे ।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता की ओर से कथन किया कि प्रार्थी नाथू पिता नीमा जाट निवासी लापस्या के पक्ष में दिनांक 02.01.2017 को खोला गया नामान्तकरण विधि अनुसार खोला गया है। अवाप्ति की कार्यवाही का विज्ञापन सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 4 अक्टूबर 2013 को किया गया है। उक्त अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन तारीख 30 जनवरी 2013 को दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों में प्रकाशित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अवाप्त की गई आराजी नम्बर 833 का मुआवजा भी उढा लिया गया है। अतःअपीलार्थी ने गलत तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम लापस्या का नामान्तरकरण सख्यां 650 दिनांक 02–01–2017 को स्वीकृत किया गया है वह सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम लापस्या का नामान्तरकरण सख्यां 650 दिनांक 02–01–2017 स्वीकृत किया गया है वह सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(राकेश कुमार)
अति0जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 22–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0जिला कलक्टर
राजसमन्द